# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी |
|---|---|---|
| | रामधन बनाम शिवराम<br>मु.नं. 01/23 धारा 136 LRA<br>27/1/25 को प्रा.पत्र राजीनामा पेश हुआ/ पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20/2/25 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>मण्डावर (दौसा)<br>20/2/25<br>पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/3/25 को पेश हो।<br>6/3/25<br>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 27/3/25 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>मण्डावर (दौसा)<br>27/3/25<br>अभिभाषकों द्वारा कार्य स्थगन के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24.4.25 को पेश हो।<br>24.4.25<br>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा.पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। उनके द्वारा प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रा.पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रा.पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए |
|---|---|---|
| | रामधन बनाम शिवराम<br>मु.नं. 07/23 धारा 136 LRA | |
| | प्रस्तुत खाता की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया एवं बहस अभिभाषक प्रार्थीगण पर मनन किया। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>मण्डावर (दौसा) | |

# राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

| मुकदमा संख्या | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 01/2023 | 11.01.2023 | 24.04.2025 |

बउनवान

1. मृतक रामधन पुत्र स्व. मूल्या मीना, निवासी उकरूंद, तहसील मण्डावर, दौसा।
   1/1. मौसम पुत्री स्व. रामधन पत्नी बलराम, निवासी ओन्ड मीना, तहसील महवा, दौसा।
   1/2. विस्पति पुत्री स्व. रामधन पत्नी मुनीराम, निवासी नया गॉव, तहसील महवा, दौसा।
   1/3. सुनिता पुत्री स्व. रामधन पत्नी मुनेश, निवासी ओन्ड मीना, तहसील महवा, दौसा।
   1/4. रोहिताश्व पुत्र स्व. राजेन्द्र निवासी उकरूंद, तहसील मण्डावर, दौसा।
   1/5. गोरधनी पत्नी स्व. रामधन निवासी उकरूंद, तहसील मण्डावर, दौसा।
   1/6. वीना देवी पत्नी स्व. राजेन्द्र निवासी उकरूंद, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. शिवराम पुत्र स्व. ख्यालीराम, निवासी उकरूंद, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. विश्राम पुत्र स्व. ख्यालीराम, निवासी उकरूंद, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. रामकिशोर पुत्र स्व. ख्यालीराम, निवासी उकरूंद, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. पूरण पुत्र स्व. ख्यालीराम, निवासी उकरूंद, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. विशनी पुत्री स्व. ख्यालीराम, निवासी उकरूंद, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री खेम सिंह गुर्जर।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 4 – श्री गिरधर सिंह।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

## निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया कि भूमि मुतदाविया ग्राम उकरूंद तहसील मण्डावर जिला दौसा राजस्थान में स्थित खसरा सं. 828 से 830, 832, 843, 844, 926 से 928, 950 से 954, 974, 975 कुल किता 16 कुल रकबा 2.62 हैक्टे. है जिसके बन्दोबस्त से पूर्व साबिक खसरा सं. 183 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा सं. 192 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, कुल किता 2 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा थे। भूमि मुतदाविया का प्रार्थी 1/4 भाग का खातेदार टीनेन्ट एवं कब्जा काश्त आराजीयात है। प्रार्थी की आराजी पैतृक सम्पत्ति है जो उसे अपने पिता मूल्या पुत्र हरदेव से बतौर वारिस एवं उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई है। किसी अन्य का प्रार्थी की आराजी हिस्सा से कोई सबंध किसी भी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण भी आराजी मुतजिक्रा के 1/4 भाग के खातेदार टीनेन्ट एवं कब्जा काश्त आराजी है, अप्रार्थीगण को अपनी भूमि बतौर वारिसान अपने

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

बाबा रामधन पुत्र सेडू राम से प्राप्त हुयी है। काफी वर्षों पूर्व बन्दोबस्त विभाग द्वारा भू प्रबंधन का कार्य किया गया था जिसमें भूमि की किस्में आदि निर्धारण कर नवीन जमाबंदियां व नक्शा ट्रेस बनाये गये थे। महवा तहसील, जिसमें पूर्व में मण्डावर तहसील भी समाविष्ट थी, की आराजीयात का भी भू प्रबन्ध कार्य किया गया जिसमें प्रार्थी व अन्य काश्तकारों की भूमि के भी नवीन जमाबंदिया व नवीन नक्शा ट्रेस बनाये गये थे। प्रार्थी की आराजीयात के संबंध में जमाबंदी संवत 2034 से 2037 के खाता सं. 79 में स्थित खसरा सं. 183, 192 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा मूल्या पुत्र हरदेव (प्रार्थी का पिता) 1/4 हिस्सा में विरासत से नामान्तकरण सं. 335 के द्वारा मूल्या पुत्र हरदेव हिस्सा 1/4 के स्थान पर रामधन पुत्र मूल्या (प्रार्थी) 1/4 हिस्सा के नाम स्वीकृत हुआ। जमाबंदी संवत 2038 से 2041 में खाता सं. 172 खसरा सं. 183, 192 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा में प्रार्थी रामधन पुत्र मूल्या हि. 1/4 के नाम खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थीगण के संबंध में उनकी आराजी, जो उनके बाबा रामधन पुत्र सेडूराम के नाम से रही थी, रामधन के पुत्र ख्याली (अप्रार्थी का पिता) की मृत्यु उनके पिता रामधन से पूर्व ही हो गयी थी। इस प्रकार रामधन पुत्र सेडू का हिस्सा 1/4 जो खाता सं. 184 संवत 2043–2046 में है, मृतक रामधन पुत्र सेडू के वारिसान पोता पोती अप्रार्थीगण व मोहरा पत्नि रामधन के नाम नामान्तकरण सं. 34 दिनांक 22.06.1990 के द्वारा खोला गया जो दिनांक 23.06.1994 को स्वीकार किया गया। सैटलमेण्ट के बन्दोबस्त विभाग द्वारा खसरा सं. 183 व 192 के नवीन खसरा नम्बरान कायम किये गये जो प्रार्थना पत्र में वर्णित है। मृतक खातेदार रामधन पुत्र सेडू के स्थान पर उनके उत्तराधिकारी अप्रार्थीगण के नाम हिस्सा 1/4 खातेदारी में इन्द्राज हो गये। प्रार्थी रामधन पुत्र मूल्या के स्थान पर रामधन पुत्र सेडूराम, दर्ज कर दिया गया है जो गलत दर्ज हुआ है। अप्रार्थीगण ने गलत इन्द्राज को एक षडयंत्र के तहत अनुचित आपराधिक लाभ प्राप्त करने के लिये प्रार्थी रामधन पुत्र मूल्या के स्थान पर हुये गलत इन्दाजात रामधन पुत्र सेडू का नामान्तरकरण सं. 1092 भी खुलवा कर अपने नाम खातेदारी करवा ली है। अप्रार्थीगण शिवराम, रामकिशोर, पूरणमल पुत्र ख्याली एवं बिशनी पुत्री ख्याली राम 1/4 हिस्सा के स्थान पर प्रार्थी रामधन पुत्र मूल्या के नाम पूर्वानुसार होना कानूनन आवश्यक है। बन्दोबस्त विभाग या राजस्व कर्मचारियों पटवारी वगै. ने प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की इन्द्राजात अशुद्ध किये है। अप्रार्थीगण ने भी यह जानते हुये कि यह जमीन उनकी नहीं है, गलत इन्द्राजात को अपने नाम दुराशय से आपराधिक लाभ प्राप्त करने के लिये अपने नाम करवा लिये। राजस्व कर्मचारियों ने भी बिना अवलोकन, निरीक्षण, जांच किये ही गलत इन्द्राजात कर दिये जिन्हे दुरूस्त करवाना विधि अनुसार आवश्यक है। प्रार्थी वर्णित आराजी का 1/4 भाग का खातेदार, टीनेन्ट व कब्जा काश्त है, अपनी खातेदारी को शुद्ध कराने का कानूनन मुस्तहक है। अपनी खातेदारी बाबत हुये गलत इन्द्राजात को शुद्ध कराने के लिये जैसे ही ज्ञात हुआ तो प्रार्थी ने दिनांक 18.05.2022 को एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थी की इन्द्राजात को शुद्ध करने बाबत उपखण्ड अधिकारी मण्डावर को प्रस्तुत किया, उन्होने तहसीलदार को प्रेषित किया। उपखण्ड अधिकारी ने एक खाता सं. 365 खसरा सं. 925 को तो दिनांक 21.09.2022 को शुद्ध कर दिया तथा उक्त खाता को शुद्ध नहीं किया। प्रार्थी पुनः तहसीलदार से दिनांक 15.10.22 को मिला तो उन्होने इन्द्राजात दुरूस्त करने से मना कर दिया तथा कहा कि उपखण्ड अधिकारी के यहां ही दावा करो तथा इन्द्राजात दुरूस्त करने से मना कर दिया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

इसलिये यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी की खातेदारी इन्द्राजातों को दुरूस्त करने को दिनांक 15.10.22 को स्पष्ट इन्कार कर दिया, इसलिये वादकरण उत्पन्न हुआ है। पैदा होने विनाय दावा हेतुक एवं स्थित आराजीयात माननीय न्यायालय को यह वाद सुनने का अख्तियार समाअत प्राप्त है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजीयात वर्णित प्रार्थना पत्र, में हुये अप्रार्थीगण शिवराम, विश्राम, रामकिशोर पूरणमल पि. ख्यालीराम बिशनी पुत्री ख्यालीराम जाति मीना निवारी ऊकरूंद हि. 1/4 गलत इन्द्राजात को शुद्ध दुरूस्त कर उनके स्थान पर पूर्वानुसार खातेदार रामधन पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी ऊकरूंद प्रार्थी हि. 1/4 के नाम खातेदारी करने तथा राजस्व अभिलेख जमाबदी में इन्द्राज करने के आदेश अप्रार्थी सं. 6 तहसीलदार मण्डावर को देने की कृपा करें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5 बाद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इनके जबाव का अवसर बन्द किया गया।

3. अप्रार्थी सं. 1 व 4 ने जबाव में प्रार्थना पत्र के अधिकांश बिन्दुओं को अस्वीकार करते हुए कहा कि प्रार्थी का नामान्तकरण गलत दर्ज किया है तो उसकी उन्हें अपील करनी चाहिए थी जो नहीं की गयी एवं तहसीलदार मण्डावर द्वारा उन्हें दावा करने की बात कही, जो भी उन्होंने नहीं कर प्रार्थना पत्र गलत पेश किया है। प्रार्थी ने वादकारण उत्पन्न होने का कथन किया है जो कि वादपत्र नहीं होकर प्रार्थना पत्र है तथा इसी मद में प्रार्थी का यह कथन पैदा होने विनाय दावा हेतुक एवं स्थित आराजी माननीय न्यायालय को यह बाद सुनने का अख्तियार समाप्त है। प्रार्थना पत्र हाजा को वादपत्र स्वयं प्रार्थी मान रहा है, फिर भी उसने यह दावा नहीं कर प्रार्थना पत्र 136 एलआर एक्ट में पेश किया है जो गलत है तथा विधि विरूद्ध है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को खातेदारी की घोषणा चाहिये जो कि दावा में ही खातेदारी दी जा सकती है, इस प्रार्थना पत्र में नहीं दी जा सकती। प्रार्थना पत्र धारा 136 का स्कोप छोटा सीमित है तथा दावा का स्कोप विस्तृत है जिसमें खातेदारी दी जा सकती है तथा अधिकार तय होते हैं। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश किया कि दौराने प्रार्थना पत्र प्रार्थी रामधन पुत्र मूल्या की मृत्यु हो चुकी है। मृतक रामधन की मृत्यु के समय उसके क़ानूनी उत्तराधिकारी व कायम मुकाम मृतक रामधन की पत्नी गोरधनी, पुत्र राजेंद्र (मृतक) की पत्नी वीना देवी, मृतक राजेंद्र का पुत्र रोहिताश्व तथा मृतक रामधन की पुत्रियाँ मौसम, विस्पति, सुनीता है। अभिभाषक अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने बावत अनापत्ति व्यक्त की। प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया गया। प्रार्थी अभिभाषक के द्वारा संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया गया जिसमे मौसम, विस्पति, सुनीता, रोहिताश्व, गोरधनी, वीना देवी को प्रार्थीगण पक्षकारों के रूप में संयोजित किया गया।

5. अप्रार्थी सं. 1 व 4 के द्वारा राजीनामा का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.01.2025 प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी रामधन पुत्र मूल्या के हिस्से की जमीन 1/4 भाग की खातेदारी हमारे नाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

सेटलमेंट में गलती से हो गई, उसकी खातेदारी प्रार्थना पत्र की दादरसी के मुताबिक प्रार्थी रामधन पुत्र मूल्या के वारिसान के नाम करने में अप्रार्थी सं. 1 व 4 सहमत हैं।

**6.** अप्रार्थी सं. 2,3,5 के द्वारा राजीनामा का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2025 प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के मुताबिक़ 1/4 भाग है, जिसकी राजस्व कर्मचारियों की गलती से अप्रार्थी के नाम खातेदारी का इन्द्राज कर दिया था जिसे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार स्वीकार कर दुरुस्त करने में अप्रार्थी सं. 2 ,3, 5 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

**7.** अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा प्रस्तुत खाता की नकल जमाबन्दी सम्वत 2034– 2037, सम्वत 2038–2041, सम्वत 2043–2046, भू–प्रबन्ध खतौनी सम्वत 2050–2068, जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 का अवलोकन किया एवं बहस अभिभाषक प्रार्थीगण पर मनन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 में प्रावधान है कि –

*136. गलतियों का शुद्धिकरण– भू–अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार– अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देख लें।*

*परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो।)*

**8.** प्रार्थीगण (प्रार्थी रामधन पुत्र मूल्या के विधिक वारिसान प्रार्थी सं. 1/1 लगायत 1/6) प्रार्थना पत्र के जरिये भूमि मुतदाविया खसरा सं. 828 से 830, 832, 843, 844, 926 से 928, 950 से 954, 974, 975 के राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी में अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 के नाम हुए इन्द्राज को दुरुस्त करवाके प्रार्थी रामधन पुत्र मूल्या के विधिक वारिसान के नाम दर्ज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं।

**9.** जमाबंदी संवत 2074–2077 के अनुसार, भूमि मुतदाविया खसरों में रामधन पुत्र सेडूराम के वारिसान अप्रार्थी सं. 1, 2, 3, 4 एवं 5 क्रमशः 9/80, 9/80, 9/80, 9/80 एवं 1/20 हिस्से (कुल हिस्सा 1/2) के दर्ज रिकॉर्ड खातेदार हैं। पत्रावली पर उपलब्ध प्रस्तुत खाता की नकल जमाबन्दी सम्वत 2034– 2037, सम्वत 2038–2041, सम्वत 2043–2046, भू–प्रबन्ध खतौनी सम्वत 2050–2068, जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पूर्वज रामधन पुत्र मूल्या के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा 1/4 हिस्सा का इन्द्राज, रामधन पुत्र सेडूराम के नाम दर्ज कर दिया गया तथा कालांतर में उनके विधिक वारिसान के नाम दर्ज कर दिया गया। इस कारण रामधन पुत्र सेडूराम के वारिसान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा 1/2 हो गया जो कि 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था तथा शेष 1/4 हिस्सा रामधन पुत्र मूल्या के विधिक वारिसान के नाम दर्ज होना चाहिए था।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

**10.** अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 के द्वारा राजीनामा दिनांक 17.01.2025 और दिनांक 27.01.2025 प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में उक्त इन्द्राज दुरुस्ती किये जाने बाबत अपनी सहमति इस बाबत प्रदान की है कि प्रार्थी रामधन पुत्र मूल्या के हिस्से की जमीन 1/4 भाग की खातेदारी सेटलमेंट में गलती से अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 के नाम हो गई, उसकी खातेदारी प्रार्थी रामधन पुत्र मूल्या के वारिसान के नाम करने में अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 सहमत हैं।

**11.** अतः रामधन पुत्र सेडूराम के विधिक वारिसान (अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5) के दर्ज हिस्सा क्रमशः 9/80, 9/80, 9/80, 9/80, 1/20 को संशोधित अर्थात आधा किया जाकर क्रमशः 9/160, 9/160, 9/160, 9/160, 1/40 दर्ज किया जाना उचित है तथा उक्त कम किये गये हिस्से की जगह रामधन पुत्र मूल्या के विधिक वारिसान ( प्रार्थी सं. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ) की जमाबन्दी में प्रविष्टि की जाकर कुल हिस्सा 1/4 दर्ज किया जाना उचित है।

**12.** उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर उक्त वांछित दुरुस्ती किया जाना उचित है।

## आदेश

**13.** प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम उकरूंद तहसील मण्डावर जिला दौसा राजस्थान में स्थित खसरा सं. 828 से 830, 832, 843, 844, 926 से 928, 950 से 954, 974, 975 कुल किता 16 कुल रकबा 2.62 हैक्टे. में प्रार्थना पत्र के अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 शिवराम, विश्राम, रामकिशोर, पूरणमल पि. ख्यालीराम, बिशनी पुत्री ख्यालीराम निवासी ऊकरूंद के दर्ज हिस्सा क्रमशः 9/80, 9/80, 9/80, 9/80, 1/20 को संशोधित अर्थात आधा किया जाकर क्रमशः 9/160, 9/160, 9/160, 9/160, 1/40 हिस्सा दर्ज किये जाने का तथा उक्त कम किये गये हिस्से की जगह रामधन पुत्र मूल्या के विधिक वारिसान ( प्रार्थी सं. 1/1 मौसम पुत्री स्व. रामधन, प्रार्थी सं. 1/2 विस्पति पुत्री स्व. रामधन, प्रार्थी सं. 1/3 सुनिता पुत्री स्व. रामधन, प्रार्थी सं. 1/4 रोहिताश्व पुत्र स्व. राजेन्द्र, प्रार्थी सं. 1/5 गोरधनी पत्नी स्व. रामधन, प्रार्थी सं. 1/6 वीना देवी पत्नी स्व. राजेन्द्र की जमाबन्दी में प्रविष्टि की जाकर इनका कुल हिस्सा 1/4 दर्ज खातेदार किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मण्डावर को आदेश की पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

**14.** निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को न्यायालय में सुनाया गया ।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)